

I/137759/2023

A-20012/43/2022-ESTT-IX  
Government of India  
Central Water Commission  
Estt-IX Section

3<sup>rd</sup> Floor, Sewa Bhawan,  
R.K.Puram, New Delhi - 110066.

Dated : 21-6-2023.

**Office Order**

On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kumar Sharma, SSA, CWC will retire from Government Service with effect from 30-6-2023.

**(R.Mahalakshmi)**  
**Section Officer**

To

PAO, CWC

Copy to :

1. Under Secretary, Administration, DOWR, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
2. DDO-1, CWC with the request to stop the salary after retirement of the incumbent.
3. Controlling Officer of the officer concerned.
4. DD, E-Gov. Cell, CWC/DD, PCP Dte, CWC, New Delhi.
5. Section Officer, Accounts-IV, CWC, New Delhi.
6. Section Officer, CM&V Section, CWC, New Delhi.
7. Section Officer, Accounts-II, CWC, New Delhi
8. Shri Vijay Kumar Sharma, SSA with the request to submit No Dues Certificate after obtaining the same from all concerned sections/Directorates of CWC.
9. Personal file of the officer concerned/service book
10. Copy for uploading in E-Office Notice Board/CWC website.

I/137759/2023

ए-20012/43/2022-ईएसटीटी-IX

भारत सरकार  
केंद्रीय जल आयोग  
स्थापना-IX अनुभाग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन,  
आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066।

दिनांक : 21-6-2023.

**कार्यालय आदेश**

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री विजय कुमार शर्मा, एसएसए, सीडब्ल्यूसी 30-6-2023 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

(आर.महालक्ष्मी)

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि

पीएओ, सीडब्ल्यूसी

कॉपी :

1. अवर सचिव, प्रशासन, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
2. डीडीओ-1, सीडब्ल्यूसी को पदधारी की सेवानिवृत्ति के बाद वेतन रोकने के अनुरोध के साथ।
3. संबंधित अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी।
4. डीडी, ई-गाँव। सेल, सीडब्ल्यूसी/डीडी, पीसीपी निदेशालय, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली।
5. अनुभाग अधिकारी, लेखा-IV, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली।
6. अनुभाग अधिकारी, सीएम एंड वी अनुभाग, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली।
7. अनुभाग अधिकारी, लेखा-II, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली।
8. श्री विजय कुमार शर्मा, एसएसए को सीडब्ल्यूसी के सभी संबंधित अनुभागों/निदेशालयों से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।
9. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/सर्विस बुक
10. कॉपी ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड/सीडब्ल्यूसी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।